कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

वेब साइट :– www.gnscr.ac.in ईमेल :- principal.npgcsr@gmail.com

===

क्रमांक/1261/ स्था.राज /अति.व्या./2026 रायपुर, दिनांक 20.08.2026

// अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन//
(नवीन शासकीय महाविद्यालय, बेन्द्री विकासखण्ड, अभनपुर, रायपुर)

नवीन शासकीय महाविद्यालय, बेन्द्री विकासखण्ड, रायपुर के प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरूद्व अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदको से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजो के साथ आवेदन दिनांक 31.08.2026 सायं 05 बजे तक **प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) पिन 492010** के पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं/वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करे) जमा कर सकते है।

विशेष टीपः–

01. निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा।
02. चयन प्रक्रिया, अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के परिपालन में किया जावेगा।
03. आवेदक सील बंद लिफाफा के ऊपर
    - अ. महाविद्यालय का नाम – नवीन शासकीय महाविद्यालय, बेन्द्री विकासखण्ड, रायपुर
    - ब. विषय,
    - स. पता,
    - द. मो.नं. स्पष्ट अक्षरो में अनिवार्य रुप से लिखे।
04. रिक्त पदो की संख्या में आवश्यकतानुसार यथायोग्य परिवर्तन हो सकता है।
05. विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट www.gnscr.ac.in पर उपलब्ध है।
06. महाविद्यालय का पिन कोड 492010 है।

(डॉ. अमिताभ बैनर्जी)
प्राचार्य

PRINCIPAL
Govt. Nagarjuna P.G. College of Science
RAIPUR (C. G.)

// अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. ESTB-2035/637/2026-RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर दिनांक 18.08.2026 एवं उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रं ESTB-1027/1216/2025/38-1 दिनांक 18.08.2026 के अनुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय, बेन्द्री विकासखण्ड, रायपुर के **राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, वाणिज्य एवं हिन्दी** विषयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 31.08.2026 को सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं/वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) आवेदन जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता –

01. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अतंर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
02. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु 1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम से संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
03. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
04. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण –

क्रं.	विषय	सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदो की संख्या
01	राजनीति शास्त्र	01
02	अर्थशास्त्र	01
03	इतिहास	01
04	वाणिज्य संकाय	01
05	हिन्दी	01
	कुल योगः–	**05**

टीप – संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते –

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं., स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी.–एच.डी., अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 31.08.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं/वाहक के हस्ते उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, निर्धारित समय में प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जा सकेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन मान्य नहीं होंगे।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 07.09.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

05. अनंतिम सूची पर दावा आपत्ति की तिथि 11.09.2026 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 17.09.2026 को किया जावेगा। जिसका अवलोकन इस महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जा सकेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय गैर न्यायिक शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय मे शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में उसे पुनः सम्मिलित किया जाना संभव नही होगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा –

अ. अतिथि व्याख्याता 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)
ब. अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी 1600/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000/–)
स. अतिथि शिक्षक सहायक 1400/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35000/–)
अ. अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा सहायक 1200/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30,000/–)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर नवीन शासकीय महाविद्यालय, बेन्द्री विकासखण्ड, रायपुर एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तों उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. चयनित आवेदकों को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में भी ये सहयोग करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में उनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ. अमिताभ बैनर्जी)
प्राचार्य

PRINCIPAL
Govt Nagarjuna P.G. College of Science
RAIPUR (C. G.)